राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक 12(02)राज/वाद/19 **जयपुर, दिनांक.** 2-5-19

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/

प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

::परिपत्र::

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 02.04.19 द्वारा समस्त विभागों को लिखा गया था कि वे अपने विभाग से सम्बन्धित न्यायिक प्रकरणों में विभाग की ओर से नियुक्त प्रकरण प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी को यह निर्देशित करें कि माननीय उच्च न्यायालय में उनके विभाग से संबंधित विचाराधीन ऐसे प्रकरण जिनमें उनके विभाग की पैरवी हेतु पूर्व में नियुक्त कौंसिलगण द्वारा की जा रही थी, उन प्रकरणों की पत्रावलियां सम्बन्धित पूर्व कौंसिलगण से प्राप्त कर वर्तमान में आपके विभाग की ओर से पैरवी हेतु अधिकृत नवनियुक्त कौंसिल को सुपुर्द करें/उपलब्ध करवावें तथा उपलब्ध करवायी गयी पत्रावलियों की एक सूची इस विभाग को प्रेषित करें, किन्तु वांछित सूचना अभी तक किसी भी विभाग से इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः पुनः इस सम्बन्ध में लेख है कि आप अपने विभाग के प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारीगण को निर्देश प्रदान करें कि आपके विभाग की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी हेतु नियुक्त पूर्व कौंसिलगण से न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियां प्राप्त कर आपके विभाग हेतु अधिकृत कौंसिलगण को सुपुर्द करें ताकि माननीय न्यायालय के समक्ष राज्य का पक्ष प्रभावी रूप से रखा जा सके। इसमें किसी भी प्रकार की कमी व चूक नहीं रहे।

साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में आपके विभाग की ओर से पैरवी हेतु अधिकृत नवनियुक्त कौंसिलगण को उपलब्ध करवायी गयी न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियों की सूची एक सप्ताह में आवश्यक रूप से इस विभाग को प्रेषित करें।

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।
4. राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
5. पूर्व गवर्नमेंट कौंसिल/एडि0 गवर्नमेंट कौंसिल/डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल, जयपुर/जोधपुर (श्री..........................) को प्रेषित कर लेख है कि पूर्व में उन्हें आवंटित विभाग के न्यायिक प्रकरणों की समस्त पत्रावलिया सम्बन्धित विभाग के प्रभारी अधिकारी को अविलम्ब उपलब्ध करावे।
6. नवनियुक्त गवर्नमेंट कौंसिल/एडि0 गवर्नमेंट कौंसिल/डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल, जयपुर/जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पैरवी हेतु उन्हें आवंटित विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की पत्रावलियॉ जो सम्बन्धित विभाग के प्रभारी अधिकारीगण द्वारा सुपुर्द की गयी है कि एक सूची एक सप्ताह में आवश्यक रूप से इस विभाग को प्रेषित करे।
7. प्रशासक, वादकरण को प्रेषित कर लेख है कि वे प्रतिलिपि संख्या–5 व 6 में वर्णित विधि अधिकारीगण की तामिल करवाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
8. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि